कार्यालय :— प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः— .... दिनांकः— ....

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :— **RGGVY के अन्तर्गत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0 का चौपारण ब्लॉक (चौपारण से चोरदाहा) तक 11 KV ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु 5.6322 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :— **वन विभागीय पत्रांक 5529 दिनांक 07.12.2016**

महाशय,

प्रासंगिक पत्र द्वारा पृच्छित कुल चार बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन/अभिलेख क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 2087 दिनांक 04.08.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के प्रतिवेदनानुसार विभाग द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत है :—

क्र0सं0	पृच्छाऐं	निराकरण
1	FRA, 2006 के तहत् अनापत्ति—प्रमाण—पत्र निर्गत करने के क्रम में की गई ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही।	FRA, 2006 के तहत् निर्गत अनापत्ति—प्रमाण—पत्र के क्रम में ग्राम सभा की बैठक की कार्रवाई की प्रति संलग्न है। **अनु0—A**
2	प्रस्ताव में सन्निहित 0.308 हे0 गैर मजरूआ जंगल—झाड़ी भूमि के उपयोग हेतु संबंधित उपायुक्त के स्तर से निर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र।	उपायुक्त, हजारीबाग के ज्ञापांक 1355 दिनांक 05.05.2017 द्वारा 0.014 हे0 गैरमजरूआ खास जंगल एवं ज्ञापांक 1354 दिनांक 05.05.2017 द्वारा 0.294 हे0 कुल (0.014+0.294) 0.308 हे0 गैर मजरूआ जंगल झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है जो इस पत्र के साथ संलग्न है। **अनु0— (B1 & B2)**
3	C.W.L.W का मंतव्य।	C.W.L.W, राँची का मंतव्य इस कार्यालय के पत्रांक 27 दिनांक 06.01.2017 (सुलभ संकेत हेतु छायाप्रति संलग्न) द्वारा आपको पूर्व में भेज दी गई है।
4	प्रस्तावित C.A. Land का D.G.P.S. Map।	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग ने सूचित किया है कि प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित मौजा चौपारण प्लॉट नं0—21, रकबा 12 हे0 अथवा 5.6322 हे0 x 2 = 11.2644 ha. का Geo-reference map in shape file or

		D.G.P.S Map संलग्न किया जा रहा है, किन्तु प्रस्ताव के साथ समर्पित Part-II में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु 12 हे0 एवं दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण हेतु 13 हे0 कुल 25 हे0 (Gross Area) का क्षतिपूरक वनरोपण मानचित्र एवं प्राक्कलन संलग्न कर अग्रसारित किया गया था। शेष 13 हे0 C.A Land का DGPS Map समर्पित करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल द्वारा पत्र लिखा गया है, प्राप्त हाते ही समर्पित किया जायगा। **अनु0– C**

वन विभागीय पत्रांक 4542 दिनांक 08.10.2014 द्वारा निर्गत निर्देश के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। तदोपरांत उपरोक्त अनुपालन प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी सहमत है अतः अनुरोध है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव हेतु कुल 5.6322 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज–I स्वीकृति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0ः–यथोक्त।

अनुपालन तीन प्रतियों में।

विश्वासभाजन

ह0/–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 878 दिनांक 25/9/17

प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची को अनुपालन प्रतिवेदन की एक प्रति के साथ/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

25.9.17